



Neutral Citation No. - 2026:AHC:11515

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी - 61 वर्ष 2026

बिरझानी देवीयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: वरुण कुमार चौबे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. यह रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:-

मैं प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को दिनांक 10.04.2018 को सहायक कलेक्टर/तहसीलदार, तमकुहिराज, जिला कुशीनगर द्वारा मामले संख्या 01153/2018 (गांव सभा बनाम जगन) में उत्तर प्रदेश संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत पारित आदेश का यथाशीघ्र पालन/निष्पादन करने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निदेश जारी करता/करती हूँ।

2. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका खारिज करने और याचिकाकर्ता को पुनः याचिका दायर करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

3. याचिका को अनुरोधित अनुमति के साथ खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



16 जनवरी, 2026

ऐमन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"